न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3607 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-09-2017 पारित द्वारा तहसील न्यायालय टप्पा ढोंढर तहसील जावरा जिला रतलाम प्रकरण क्रमांक 38/अ-6/2013-14

बालाराम पिता रामेश्वर
निवासी ग्राम हनुमन्तया
तहसील जावरा जिला रतलाम ....आवेदक

विरूद्ध

हरिश पिता गणपतलाल
निवासी ग्राम हनुमन्तया
तहसील जावरा जिला रतलाम ....अनावेदक

श्री ए.आर. यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप मेहता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसील न्यायालय टप्पा ढोंढर तहसील जावरा जिला रतलाम द्वारा पारित दिनांक 14-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार जावरा जिला रतलाम के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि पर उसका नामांतरण करने का अनुरोध किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 38/अ-

6/2013-14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 14-09-2017 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा असत्य आधार पर संहिता धारा 115-116 के तहत आवेदन प्रस्तुत करते हुए स्वर्गीय रामेश्वर की दानपत्र के आधार पर नामांतरण चाहा है, जबकि संहिता की धारा 115-116 में न तो नामांतरण किया जा सकता है और ना ही पूर्व के नामांतरण को बदला जा सकता है । अतः प्रथम दृष्टया ही अनावेदक का आवेदन प्रचलन योग्य नहीं है । यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा वसीयत प्रस्तुत की गयी है, परन्तु स्वर्गीय रामेश्वर सोचने, समझने व चलने फिरने में असमर्थ थे व अनावेदक द्वारा डॉक्टर का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे साक्ष्य में बुलाए जाने बाबत आवेदक ने धारा 35 का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार के निरस्त करने में त्रुटि की है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने धारा 34 पंजीयक द्वारा वसीयत रजिस्टर्ड की है उसे ही साक्ष्य में तलब करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, क्योंकि रामेश्वर ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वे वसीयत कर सकें, इस कारण जिस उप पंजीयक ने वसीयत रजिस्टर्ड की है उसे प्रमाणित करने के लिये कि, वे वसीयत करने योग्य थे या नहीं, उन्हें तलब किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । यह भी कहा गया कि विवादित भूमि के संबंध में आवेदक ने व्यवहार न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही व प्रकरण निरस्त किए जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त साक्षियों उप पंजीयक एवं डॉक्टर के साक्ष्य में बुलाए बिना यदि प्रकरण में आगे कार्यवाही होती है तो आवेदक न्याय प्राप्ति से वंचित रह जावेगा ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष डाक्टर एवं उप पंजीयक को साक्ष्य हेतु आहूत करने की मांग

की गई थी । नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक का अनुरोध निरस्त किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही नहीं है, क्योंकि यदि आवेदक डाक्टर तथा उप पंजीयक को अपने साक्ष्य के तौर पर बुलाना चाहता है तो यह उसका हक है और उसे अपने हक से वंचित नहीं किया जा सकता । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को आवेदक के व्यय पर साक्ष्य आहूत करना चाहिए था । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वह आवेदक के व्यय पर डाक्टर एवं उप पंजीयक को साक्ष्य हेतु न्यायालय में आहूत कर, उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का विधिवत निराकरण् करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसील न्यायालय टप्पा ढोंढर तहसील जावरा जिला रतलाम द्वारा पारित दिनांक 14-09-2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर